भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1024

29.07.2024 को उत्तर के लिए

जल विद्युत परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन

1024. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं जबकि मौजूदा विनियमों में ऐसी परियोजनाओं पर रोक है;

(ख) क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी रूप से बाध्यकारी नवम्बर, 2013 के निदेशों के संबंध में सरकार द्वारा दिसम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन में की गई व्याख्या की कानूनी वैधता के लिए समीक्षा की गई है;

(ग) प्रस्तावित परियोजना क्षेत्रों में वन्यजीव गलियारों, स्थानिक प्रजातियों और पुराने वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए कोई स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किए गए हैं; और

(ङ) पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-4/2012-आरई (पीटी) के अनुसार, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (डब्ल्यूजी ईएसए) में अन्य की अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होने के कारण पश्चिमी घाट पर उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह द्वारा कड़ी शर्तों के अधीन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देने की अनुशंसा की गई थी। यह

कार्यालय ज्ञापन पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है और तदनुसार दिनांक 16 नवंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन को वापस ले लिया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पश्चिमी घाट क्षेत्र सहित देश में वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

इन योजनाओं में अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास, वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन, बाघ परियोजना और राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में अवस्थित परियोजनाओं सहित जलविद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों की अनुपालना में विस्तृत क्षेत्र विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया जाता है। ईआईए और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और इसके प्रबंधन का आकलन करने के लिए विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिसके आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी देने या न देने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में ईएसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर सामान्य और विशिष्ट शर्तें शामिल होती हैं, जिनका संबंधित परियोजना प्रस्तावक को पालन करना होता है।

***